न्यायालयश्रीमान् सदस्यमहोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सकिट

R. 5066-दो/15

कोर्टरीवा, जिला रीवा

420
21.9.15

श्रीमती सियाबाई पत्नी विष्णू अहिर पेशा घरु काम निवासी सारंग तहसील मैहर, जिला सतना म०प्र० ------ निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मोलिया पत्नी दयाराम अहिर साकिन सारंग, तह० मैहर, जिलासतना

--------- अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दिनांक 21.9.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

विरुद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय सर्किल मदनपुर तह० मैहरजिलारीवा के सीमांकन प्रकरणक्र० 5अ 12/2014-15 आदेश दिनांक 21-5-15 तथा उसके अनुसार जो एकपक्षीय रुपसे अनावेदक केमदा मे सीमांकन कीपष्टिकीगई है।

मान्यवर, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैकि अना० के आ०नं० 70/1/1 61/9/9 जिसके सीमांकन बावत आवेदनपत्र राजस्व वृत्त मदनपुर के न्यायालयमे आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जो राजस्व निरीक्षक महोदयद्वारा आवेदनपत्र पंजीवद्ध कियाजाकर पटवारी हल्का सारंग वृत्त मदनपुर को दि० 10-6-15को पटवारीप्रतिवेदन मगायेजाने हेतु आवेदनपत्रभिजाया गया व 5-7-15को सीमांकित भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कियागया व दिनांक 21-5-15को आ०...

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5066/II/15 जिला सतना

सियाबाई मोलिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.10.2015	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री रामस्वरूप शुक्ला उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित है। इसके अतिरिक्त मुख्य ~~रूप~~ से यह बताया गया कि आवेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस सीमांकन कार्यवाही के संबंध में नहीं दिया गया। सूचना पत्र में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की जो टीप अंकित की गई है वह टीप संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने आप से गलत लिखी गई है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आवेदिका को सूचना दी ही नहीं गई। यदि सूचना दी जाती तो निश्चित ही वह सीमांकन के समय उपस्थित रहती तथा सीमांकन कार्यवाही में सहयोग करती। दूसरा इस बिन्दु पर भी आवेदक अभि० द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया कि ~~सीमांकन करते समय~~ सीमांकन कार्यवाही करते समय ऐसे किसी बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह का उल्लेख ~~इसके~~ सीमांकन कार्यवाही में नहीं किया गया है ~~जिसे स्थाई सीमा चिन्ह ओ~~ स्थाई सीमा चिन्ह हो, जहां से सीमांकन प्रारम्भ करते	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पर सही सीमांकन हो सके। बिना स्थाई सीमा चिन्ह कायम किए किसी भी स्थान से सीमांकन प्रारम्भ करने से सीमांकन की कार्यवाही ठीक नहीं हो सकती। इसके साथ ही निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में धारा 250 की कार्यवाही को भी रोकने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में निगरानी मेमो के साथ सीमांकन अभि० की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रथमतः यह तथ्य प्रकाश में आया कि पटवारी द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5-7-15 को प्रस्तुत किया गया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की पुष्टि दिनांक 21-5-15 को किया जाना अंकित है। प्रतिवेदन दिनांक एवं पुष्टि दिनांक में माह 7 की जगह 5 अंकित है जो सम्भवतः लिपिकीय त्रुटि हो सकती है और परिलक्षित भी हो रही है। इसके अतिरिक्त सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 5-7-15 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदित भूमियों का सीमांकन करने हेतु स्थाई एवं बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह किसे माना गया जहां से सीमांकन शुरू किया गया जैसे, मुनारा, नहर, कुआ आदि स्थाई बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह का कोई उल्लेख सीमांकन प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक को सूचना नहीं दिया जाना पाया गया है सिर्फ यह अंकित अंकित कि हलकासा कौन से इन्कार किया,

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.............................. जिला ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	~~[illegible]~~ पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। नजरी-नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि पूर्व+पश्चिम+उत्तर+दक्षिण में किन व्यक्तियों की भूमियां है एवं कौन-2 हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें सूचना दी गई। इस प्रकार सीमांकन कार्यवाही संहिता की धारा 129 में दिए गये प्रावधानों के अनुरूप की जाना परिलक्षित नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से प्रकरण 5/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 21-5-15 से की गई सीमांकन पुष्टि की कार्यवाही विधिवत न होने से निरस्त की जाती है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विवादित आवेदित आराजी नम्बरान का सीमांकन करते समय स्थाई सीमा चिन्ह से प्रारम्भ करें तथा आवेदित आराजी के सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र व्यक्तिगत रूप से जारी कर निर्वाह कराकर उनके समक्ष सीमांकन की कार्यवाही विधिवत तीन माह में पूर्ण करें। उक्त निर्देशों के	

[कृ. प. उ.

[illegible]

R.5066/II/15 (सतना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
[illegible]	के साथ यह निगरानी प्रकरण इति श्री कर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। द० प्र० रि० हो। [illegible] सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.